



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/ फाल्गुन 10, 1940
No. 151] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/ PHALGUNA 10, 1940

कॉरपोरेट मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

सा.का.नि. 171(अ)—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22क की उपधारा (1), लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 22 क और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 22 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 835(अ), तारीख 3 नवंबर, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), और (9) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात् :—

- "(2) श्री प्रवीण गर्ग, -- सदस्य
अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार,
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
नई दिल्ली।
- (3) श्री आनंद मोहन बजाज, -- सदस्य
संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय,

- नई दिल्ली ।
- (4) श्री जे. वेंकटेश्वरलू, -- सदस्य
प्लाट नं. 443-ए-22, रोड नं. 86,
जुबिली हिल्स, हैदराबाद-500096 [चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा
22क की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन
नियुक्त]
- (5) श्री पंकज त्यागी, सी-504, -- सदस्य
यूनेस्को अपार्टमेंट,
आई पी एक्सटेंशन, पटपडगंज,
नई दिल्ली-110092 [चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा
22क की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन
नियुक्त]
- (6) श्री प्रवाकर मोहन्ती, -- सदस्य
एच आई जी-188, फेज-VII
शैलश्री विहार, चंद्रशैलहारपुर,
भुवनेश्वर-751021 [लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम 1959
की धारा 22 क के अधीन नियुक्त]
- (7) श्री बी एम शर्मा, -- सदस्य
बी-2, नीलसदन अपार्टमेंट्स,
1426, सदाशिव पेठ,
पुणे, विद्यार्थी गृह के सामने
पुणे-411030. [लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम 1959
की धारा 22क के अधीन नियुक्त]
- (8) सुश्री प्रीति मल्होत्रा -- सदस्य
1, पृथ्वीराज रोड,
नई दिल्ली – 110011 [कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 22क
के अधीन नियुक्त]
- (9) श्री श्याम अग्रवाल, 61, -- सदस्य
लवकुश नगर,
1 जेपी अंडरपास, सहकर मार्ग
टोंक रोड, जयपुर-302015 [कंपनी सचिव, अधिनियम, 1980 की धारा
22क के अधीन नियुक्त]

2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

फा.सं. 12/15/2007-पीआई
अनुराग अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 835(अ), तारीख 3 नवंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1130(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2016 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2019

G.S.R. 171(E).— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), section 22A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and section 22A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 835(E), dated the 3rd November, 2015, namely:—

In the said notification, for serial numbers (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

- | | |
|---|---|
| “(2) Shri Praveen Garg,
Additional Secretary and Financial Advisor,
Ministry of Environment, Forest and Climate Change,
New Delhi. | -- Member |
| (3) Shri Anand Mohan Bajaj,
Joint Secretary, Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance, New Delhi. | -- Member |
| (4) Shri J. Venkateswarlu,

Plot No. 443-A-22, Road No. 86,
Jubilee Hills, Hyderabad-500096. | -- Member

[Appointed under clause (b) of sub-
section (1) of section 22A of the Chartered
Accountants Act, 1949] |
| (5) Shri Pankaj Tyagee,
C-504, Unesco Apartment,
I.P. Extension Patparganj,
New Delhi-110092. | -- Member

[Appointed under clause (b) of sub-
section (1) of section 22A of the Chartered
Accountants Act, 1949] |
| (6) Shri Pravakar Mohanty,
HIG-188, Ph. VII,
Sailashree Vihar,
Chandraselharapur,
Bhubaneswar-751021, Odisha. | --Member

[Appointed under section 22A of the Cost
and Works Accountants Act, 1959] |
| (7) Shri B. M. Sharma,
B-2, Neelsadan Apartments,
1426, Sadashiv Peth,
Opp. Pune Vidyarthi Griha,
Pune-411030. | -- Member

[Appointed under section 22A of the Cost
and Works Accountants Act, 1959] |
| (8) Ms. Preeti Malhotra,
1 Prithviraj Road,
New Delhi 110011, | -- Member

[Appointed under section 22A of the
Company Secretaries Act, 1980] |
| (9) Shri Shyam Agarwal,
61, Luv Kush Nagar,
1 st J p Underpass,
Sahkar Marg, Tonk Road,
Jaipur - 302015. | --Member

[Appointed under section 22A of the
Company Secretaries Act, 1980] |

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 12/15/2007-PI]
ANURAG AGARWAL, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 835(E), dated the 3rd November, 2015 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 1130(E), dated the 13th December, 2016.